भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-423
उत्तर देने की तारीख-02/02/2026

राज्यों और राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार

†423. श्री सुखदेव भगतः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नीति आयोग के फरवरी, 2025 के प्रतिवेदन "राज्यों और राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार" के अनुसार देशभर के राज्यों में राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों में 56 प्रतिशत से अधिक पूर्ण-प्रोफेसर पद रिक्त हैं; और
(ख) यदि हां, तो इन रिक्तियों को भरने और इस प्रकार देश में शिक्षण की गुणवत्ता और अनुसंधान के निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकांत मजूमदार)

(क) और (ख): शिक्षा भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों के तहत स्थापित किए जाते हैं, और उनके प्रशासनिक तथा सेवा-संबंधी मामलों, शिक्षण संकाय की नियुक्तियां, का संचालन संबंधित राज्य अधिनियमों, अधिनियमित नियमों, उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के तहत किया जाता है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में संकाय पदों की भर्ती और रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

यूजीसी ने दिनांक 20.02.2025 को भारत के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों (शिक्षा)/राज्यपाल के सचिवों/राज्य उच्च शिक्षा परिषदों को परामर्श दिया है, राज्य विश्वविद्यालयों और उनके अधीनस्थ महाविद्यालयों में रिक्त संकाय पदों को समय पर भरने के लिए उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 28.10.2025 को इस मंत्रालय ने भी सभी राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों को पत्र लिखकर आवंटित पाठ्यक्रमों के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने का अनुरोध किया है।

शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (सीएचईआई), जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर), भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), वास्तुकला नियोजन विद्यालय (एसपीए), केंद्रीय विश्वविद्यालय (सीयू) आदि, संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उन अधिनियमों/संविधानों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा संचालित होते हैं। संस्थान स्वायत्त संस्थानों के रूप में, अधिनियमों और विनियमों के अनुसार तथा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक पदों में आरक्षण) अधिनियम, 2019 और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप स्वयं संकाय की भर्ती करते हैं। भर्ती करने हेतु प्रदत्त अधिकार संबंधित गवर्नर्स बोर्ड (बीओजी)/कार्यकारी समिति/प्रबंधन बोर्ड के पास होती हैं और इसमें मंत्रालय की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती है।

रिक्तियों के बनने और उनको भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियाँ पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, इस्तीफ़ा, मृत्यु, नए संस्थानों, योजनाओं अथवा परियोजनाओं के आरंभ होने तथा मौजूदा संस्थानों में छात्रों की संख्या बढ़ने और क्षमता विस्तार के कारण उत्पन्न होती है।

शिक्षा मंत्रालय ने सभी सीएचईआई को मिशन मोड में रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है। इन संस्थानों ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के पदों को भी भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं। सितंबर 2022 से, सभी सीएचईआई ने एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजन (पीडबल्यूडी) के पद सहित मिशन मोड भर्ती अभियान शुरू किया है। दिनांक 24.10.2025 तक (अर्थात अंतिम रोजगार मेले की तिथि तक), 17,494 संकाय पद सहित कुल 29,979 पद सभी सीएचईआई द्वारा मिशन मोड में भरे गए हैं।
